

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुंझुनू

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, वीकानेर के आदेश क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/19626/मूल मान्यता/14-15 दिनांक 21.05.2014 की अनुपालना में सत्र 2011-12 में कक्षा 1 से 6 तक के जिन निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई थीं, उनके आवेदन करने पर मान्यता/क्रमौन्नति शुल्क तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की अतिरिक्त राशि जमा कराने तथा निरीक्षण कर्ताओं की अभिशंषा करने के उपरान्त निम्नांकित निजी विद्यालयों को सत्र 2014-15 से कक्षा 7 व 8 क्रमौन्नति की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है। इनके मान्यता कोड पूर्ववत रहेगे। आरटी.ई. की शर्त एवं पूर्व में दी गई मान्यता प्रमाण पत्र में अंकित शर्त यथावत रहेगी।

1. लिटिल फ्लॉवर स्कूल, दीनदयाल नगर, झुंझुनू।
2. विद्या इन्टरनेशनल स्कूल, ख्यालियो की ढाणी, काकोड़ा, पं.स. सूरजगढ़।
3. संस्कार अकेडमी, पापड़ा, पं.स. उदयपुरवाटी।
4. नोबल पब्लिक स्कूल, विसाऊ, पं.स. अलसीसर।
5. सुदिक्षा पब्लिक स्कूल, मण्डावा, पं.स. झुंझुनू।
6. विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, वार्ड नं. 25, चिडावा।
7. एच.एस. नेमोरियल पब्लिक स्कूल, इन्दिरा नगर, झुंझुनू।
8. महान पब्लिक स्कूल, विरमी, पं.स. अलसीसर।

(इन्द्राज सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू
दिनांक: 26.08.2014

क्रमांक:-जिशिअ/प्रारं/झुं/मान्यता/2014/1916-23

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पं.स.
2. सम्बन्धित संस्था सचिव/प्रधान लिटिल फ्लॉवर स्कूल, दीनदयाल नगर, झुंझुनू
3. कार्यालय प्रति।

(इन्द्राज सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुंझुनू

प्रारूप-2

उत्तर
ही-नेल

फोन
फैक्स

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) १५/१५ राजस्थान

संख्यांक : ६०९

दिनांक : ३०-८-११

प्रबन्धक

लिपि भूषुल कलोर स्कूल
कुरुक्षेत्र

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घास-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ॥ के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक ५/११ के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं लिपि भूषुल कलोर स्कूल, कुरुक्षेत्र (अड्डों) को दिनांक २०११-१२ से दिनांक तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा से कक्षा तक के लिए अनिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त रवीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं—

1. मान्यता की भंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-४ के पश्चात मान्यता/संश्वेदन के लिए कोई बाध्यता विष्कृत नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांध २) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा १ में उस कक्षा के बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर बगों और अलाभपद जमूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की घास-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैक खाता बखेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा अनुच्छेद

Page 26 of 28

5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संयहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्मॉर्टिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आदार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक यों, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई खोड़ परीका उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकारित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार निश्चयता प्रस्तु / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - अध्यापकों वी भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अहंताओं के साथ वी जाती है। परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं हैं, यांच वर्ष वी अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
 - विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम या पालन करेगा।
 - विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकारित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
 - विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के नामकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्र
 - कुल निर्मित क्षेत्र
 - क्रोडा रथल का क्षेत्रफल
 - कक्षा कमरों की संख्या
 - प्रशानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-मंडार कक्ष
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शीघ्रालय
 - पेयजल सुविधा
 - मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
 - बांधा रहित पहुँच

- अध्यापक पठन समझी/क्रीड़ा खेलबूद उपस्थिति/मुस्तकालय की उपलब्धता
 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई और मान्यता
 प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और
 विद्यालय के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
12. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी
 सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी
 लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यटियों के संग्रह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के
 लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके
 द्वासा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार
 किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा
 अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) _____ को भेजी जानी चाहिए।
15. विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक _____ है। कृपया इसे नोट पर
 लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राधार के लिए इसका उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक
 प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) _____
 द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन
 करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या
 विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
17. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, यो सुनिश्चित किया जाए।
18. संलग्न उपायध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 19.

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी कारी
 प्रारम्भिक शिक्षा _____

01 रोप २०१५

प्रमाणित गया।